

कार्यालय जनपद न्यायाधीश मैनपुरी

नजारत — अनुभाग

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मैनपुरी के परिसर में स्थित साईकिल स्टैंड व कैंटीन की नीलामी वर्ष 2026-27 के लिए दिनांक 28-03-26 को सांय 01.30 बजे बीडियों कान्फ्रेसिंग हाल जनपद न्यायालय, मैनपुरी में निर्धारित की जाती है।

क्रम संख्या	दुकान का प्रकार	न्यूनतम जमानत धनराशि
1.	ठेका साईकिल स्टैंड एवं दोपहिया वाहन	5,00,000 / —
2.	ठेका कैन्टीन	1,00,000 / —

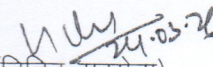
इच्छुक व्यक्ति उपरोक्तानुसार धरोहर नगद दिनांक 25-03-26 को सांय 4.00 तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते हैं। खुली बोली की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 25-03-26 को सांय 4.30 जनपद न्यायालय, मैनपुरी स्थित बीडियों कान्फ्रेसिंग हाल में होगी। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, मैनपुरी से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

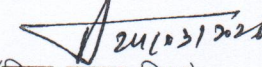
जनपद न्यायालय, मैनपुरी को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

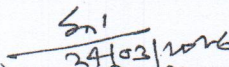
नीलामी की शर्त:-

1. इस नीलामी में केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा जो पूर्व में किसी प्रकार से डिफाल्टर न रहा हो।
2. ठेका साईकिल स्टैंड एवं दोपहिया वाहन ठेके की जमानत धनराशि 5,00,000 / — रुपये तथा ठेका कैन्टीन की जमानत धनराशि 1,00,000 / — रुपये होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।
3. आवंटन के पश्चात् सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जाएगी। शेष 75 प्रतिशत 7 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर ठेके का आवंटन बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकता है। धनराशि जमा करने की अवधि किसी भी दशा में बढ़ाई नहीं जाएगी।
4. आवंटी को आवंटित दुकान किसी अन्य को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
5. आवंटी को आवंटित दुकान में स्थाई प्रकृति का निर्माण कार्य / अतिक्रमण का अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर नीलामी निरस्त की जा सकती है।
6. आवंटी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना किसी सूचना के नीलामी निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. यह ठेका दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक के लिये वैध होगा।

8. ठेकेदार को न्यायालय परिसर में स्थित अपने दुकान के पास साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहां से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।
9. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेंगे।
10. न्यायालय परिसर में जो स्थान दुकान करने हेतु दिया जायेगा, उसी स्थान में दुकान करना होगा एवं विद्युत हेतु अलग से कनेक्शन लेना होगा।
11. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
12. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
13. उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दे या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दे।
14. ठेका साइकिल स्टैन्ड एवं दोपहिया वाहन के आवंटी को साइकिल व मोटरसाइकिल पर लगाने वाली धनराशि की सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहां से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।


(नितिन सक्सेना)
सदस्य
नीलामी समिति/
न्यायालय प्रबन्धक
मैनपुरी।

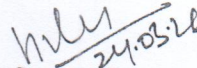

(बिष्णु कुमार मिश्रा)
सदस्य
नीलामी समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-6
मैनपुरी।

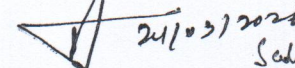

(सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश
(डी.ए.ए. एक्ट)
मैनपुरी।

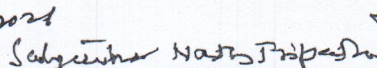

(जयप्रकाश)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.सी. एक्ट
मैनपुरी।

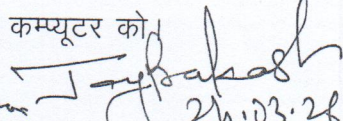
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

1. नाजिर, कलेक्ट्रेट, मैनपुरी।
2. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।
3. कार्यालय अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
4. कार्यालय अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी।
5. स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जनपद न्यायालय, मैनपुरी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को।


(नितिन सक्सेना)
सदस्य
नीलामी समिति/
न्यायालय प्रबन्धक
मैनपुरी।


(बिष्णु कुमार मिश्रा)
सदस्य
नीलामी समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-6
मैनपुरी।


(सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश
(डी.ए.ए. एक्ट)
मैनपुरी।


(जयप्रकाश)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.सी. एक्ट
मैनपुरी।

Approved
Rupabhanjan
24.03.26